**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक 409528 पटना, दिनांक 04/02/19

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(2018-19 क0)102-09/2018

प्रेषक,

**कँवल तनुज, भा0प्र0से0,**

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी/**

**सभी उप विकास आयुक्त,**

बिहार ।

**विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभुको को सहायता राशि अंतरण हेतु अंचलधिकारियों का DSC उपयोग करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में विदित है कि बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ द्वारा दिनांक- 01.02.2019 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना दी गयी है, जिस कारण कतिपय प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। उक्त कारणवश विभागीय पत्र संख्या- 409146 दिनांक- 31.01.2019 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है तथा उक्त के आलोक में कतिपय प्रखंडों के अंचलाधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का प्रभार दिये जाने की सूचना है।

यह भी विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभुकों को सहायता राशि के अंतरण की प्रक्रिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी का DSC का उपयोग 2nd Signatory के रूप में किया जाता है।

अत: अनुरोध है कि जिन प्रखंडों का प्रभार अंचलाधिकारी को नहीं दिया गया है उन्हें आज ही प्रभार देने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति को बनाये रखने के लिए अंचलाधिकारी का DSC आवास सॉफ्ट पर निबंधित किया जाय, ताकि योजनान्तर्गत लाभुकों को सहायता राशि के अंतरण में व्यवधान न हो।

विश्वासभाजन

4/2

**(कँवल तनुज)**

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\SECTION -5 BACKUP\D Drive\Mukesh\IAY 2520.doc